प्रकरण सं० 325 सन् 2017 विकास आदि। शिशपाल आदि (2)
दावा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जा रहा है जो तस्दीक फरमाया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्र.1 ता 6 की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 9/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	RTI हेमलता RTI सरोज
9/3/18 वकील उभय पक्ष उप० जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 05/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	अंजलि रेखा
.5.18 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद पक्ष डिक्री किया जाता है बिल्कुल मुताबिक फैसला के लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। मुताबिक आदेश पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया।	Poonam Raj

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

विकास पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

संजय पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

संदीप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

शिशपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

कैलाश पत्नि शिशपाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अंजली पुत्र शिशपाल पत्नि राहुल जाति जाट निवासी रोखचूलिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

रेखा पुत्री शिशपाल पत्नि महेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सरोज पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 325 सन् 2017
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

स्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 6
3. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी सं. 7

निर्णय **दिनांक :–** 5.5.18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से चक 2 एएम सील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता सं. 63/54 प.न. 184/386 मु.न. के.न. 1 ता 10 तादादी 2.530 है0 व प.न. 185/386 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10 तादादी 12 है0 कुल 3.542 है0 अनकमाण्ड व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 73–2076 के खाता सं. 78/84 प.न. 185/385 मु.न. 24 कि.न. 21/2/0.228 है0 व I. 184/385 मु.न. 25 कि.न. 24/2, 25/2 तादादी 0.456 है0 कुल 0.684 है0 कमाण्ड भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

तिवादी सं. 1 व 2 को अपने पिता रामलाल से प्राप्त हुई है उक्त कृषि भूमि मे वादीगण व तिवादी सं. 3 ता 6 का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया सं. 5 व 6 उक्त भूमि मे पना हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है, जिन्होने अपना हक व हिस्सा वादीगण व ागर प्रतिवादीगण के पक्ष मे तर्क किया हुआ है। इसलिये वादपत्र मे वर्णित प्रतिवादी सं. 1 1/2 हिस्सा मे वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण सं. 2 व 3 का 1/2–1/2 हिस्सा कानूनन बनता है व इसी अनुसार वादीगण श्त हेतु दे रखी है। वादीगण उपरोक्तानुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने राजस्व रिकार्ड मे अंकन दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर षणा की जावे कि वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा मे वादी 1 व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा मे दीगण सं. 2 व 3 बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2, 1/2 हिस्सा के ातेदार काश्तकार है। मुताबिक घोषणा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया वें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. ता 6 की ओर से श्री भवानी सिंह निर्वाण विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया था वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो ाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 7 ने जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष/वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने राजीनामा पेश कर कथन किया क वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर ाजीनामा कर लिया है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम से चक 2 एएम तहसील नुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता सं. 63/54 प.न. 184/386 मु.न. 4 कि.न. ता 10 तादादी 2.530 है0 व प.न. 185/386 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10 तादादी 1.012 0 कुल 3.542 है0 अनकमाण्ड व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 073–2076 के खाता सं. 78/84 प.न. 185/385 मु.न. 24 कि.न. 21/2/0.228 है0 व .न. 184/385 मु.न. 25 कि.न. 24/2, 25/2 तादादी 0.456 है0 कुल 0.684 है0 नकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के लावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से चक 4 बीआरएन तहसील टिब्बी खाता सं. 58/53 7.337 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू ारिवार के सदस्य है। उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अपने पिता रामलाल से प्राप्त हुई है उक्त कृषि भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 व 6 का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया सं. 5 व 6 उक्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है, प्रतिवादिया सं. 5 व 6 ने अपना हक व हिस्सा वादी सं. 1 व

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे तर्क किया हुआ है। मुताबिक राजीनामा उक्त वर्णित कृषि भूमि मे चक 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम की भूमि वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त दोनो चको मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम की भूमि मे से वादीगण सं. 2 व 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त दोनो चक नं. 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने मे मिकरान को कोई आपत्ति नही है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 द्वारा राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 7 द्वारा दौराने बहस जवाबदावा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र वादीगण डिक्री किये जाने मे प्रतिवादी सं. 7 को कोई एतराज आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने उक्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे तर्क किया हुआ है जिसके संबंध मे प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा शपथ पत्र बाबत हक त्याग पेश किया। मुताबिक राजीनामा उक्त वर्णित कृषि भूमि मे चक 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम की भूमि वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त दोनो चको मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम की भूमि मे से वादीगण सं. 2 व 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त दोनो चक नं. 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने मे मिकरान को कोई आपत्ति नही है, ऐसा राजीनामा मे जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादपत्र मे मुख्य

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(6)

अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, 5 व 6 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का आपस मे राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम की भूमि वादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है व उक्त दोनो चको मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम की भूमि के वादीगण सं. 2 व 3 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। उक्त दोनो चक नं. 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.5.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. विकास पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. संजय पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. संदीप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

1. शिशपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कैलाश पत्नि शिशपाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अंजली पुत्र शिशपाल पत्नि राहुल जाति जाट निवासी रोखचूलिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. रेखा पुत्री शिशपाल पत्नि महेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सरोज पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 325 सन् 2017 दिनांक .....
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र सहारण तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 श्री भवानी सिंह निर्वाण की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम की भूमि वादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है व उक्त दोनो चको मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम की भूमि के वादीगण सं. 2 व 3 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। उक्त दोनो चक नं. 2 एएम तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 63/54 व चक 18 एजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 78/84 मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

आज दिनांक 4.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner